

①

Union and its Territory
भाग-1, अनुच्छेद (1-4).

अनु० 1 :-> भारत को राज्यों का संघ कहा गया।

अनु० 2 :-> नए राज्यों का ~~निर्माण~~ प्रवेश या स्थापना

अनु० 3 :-> नए राज्यों का निर्माण और कर्तव्य राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन।

अनु० 4 :-> अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं प्रथम, आनुसंधानिक एवं अनुवर्ती भागों में संशोधन किया जा सके।

Note :- (i) कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वयं नहीं है।
अर्थात् भारत (किन्तु भी राज्यों का अविनाशी संघ है।

(ii) सर्वोच्च न्यायालय ने बेशकवादी संघ के मामले में यह कहा कि संविधान संशोधन के द्वारा ही कोई राज्य को किसी दूसरे राज्य को सौंपा जा सकता है। Ex:- 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेशकवादी राज्य को पाकिस्तान को तथा 100वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ भारतीय क्षेत्र बांग्लादेश को सौंपे गए।

राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित आयोग / समिति

महत्वपूर्ण तथ्य :-

- ① श्री विद्याल सगा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद ने इस संकेत पर ही महत्त्वता में एक-चार सदस्यीय भाषाई पाठ आयोग का गठन किया। इस संकेत पर दूषाहावाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। [1958 ई०]
- ② 1958 में गठित जे० वी० पी० समिति [जवाहरलाल नेहरू प्रबलन मंत्रिपरिषद, पहागि शीतारमैया] ने भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की गणना की समिति कर दिया।
इसके विशेष में स्वतंत्रता सेनानी श्री पोद्दार श्रीरामकृष्ण ने आग्रह अनुरोध किया जिसके फलस्वरूप 56 दिनों के बाद उक्त मूल्य हो गई। इनकी मूल्य के बाद आंदोलन की तीव्रता के कारण पी० नेहरू ने 19 दिसम्बर 1952 को तेरु मन्त्रियों के लिए आन्ध्रप्रदेश के गठन की घोषणा की जो भाषाई आधार पर गठित भारत की पहला राज्य था।
- ③ 22 दिसम्बर 1953 ई० को न्यायमूर्ति कजरू माली की महत्त्वता में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई। इसमें ई० रामचन्द्रिका तथा हृदयनाथ कुंजरु अन्य सदस्य थे।

- ③ वंकर पुनर्गठन अधिनियम: 1960 के द्वारा द्विभाषी राज्य वंकर को महाराष्ट्र (मराठी भाषा) व गुजरात (गुजराती भाषा) में विभाजित किया गया।
- ④ 10 वें संविधान संशोधन: 1961 के माध्यम से दादरा एवं नगर हवेली को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जो कि 1954 में पुर्तगाली शासन से स्वतंत्र हो गया था।
- ⑤ 12 वें संविधान संशोधन अधिनियम: 1962 के द्वारा गोवा, दमण एवं दीव को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया जिन्हें पुलिस शाखाधीन (1961) के द्वारा अधिग्रहीत इलाक़ों से ~~25वाँ संविधान संशोधन~~ 1987 में गोवा को 25वाँ राज्य का दर्जा दिया गया।
- ⑥ 35 वें संविधान संशोधन (1974) के द्वारा सिक्किम को एक संघ राज्य का दर्जा दिया गया।
- ⑦ Nov I, 9, 15-2000 से कुमायूँ क्षेत्रीय (26वाँ), उत्तराखण्ड (27वाँ) तथा छत्तीसगढ़ (28वाँ) को निर्माण किया गया। [84वाँ संविधान संशोधन]
- ⑧ 2 जून, 2014 को औपचारिक रूप से 29 वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण हुआ। श्री वृषभ आयोग इसी से संबंधित है।

तथ्यः

देशी रियासतों का स्कांदन

- ① स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी रियासतों की जिनमें 539 रियासतों ने स्वीच्छा से अपना किलथ भारत में कर लिया।
- ② अनामोल रियासत को जगत सिंह के आधारे पर गिलाया गया लेकिन इसके शासक पाकिस्तान में आना-वाहने की
- ③ हुंकराकाद की रियासत को पुलिस कार्यवाही करके भारत में गिलाया गया।
- ④ अमृत-कमीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी हुकराकियों के आक्रमण के कारण किलथफ पर हुंकराकार करके अपनी रियासत को भारत में गिलाया।